एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
			बीए 1 संख्या 1727 सन 2023 **माननीय राकेश थपलियाल, जे.** 1. श्री डी के शर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायक सुश्री शीतल सेलवाल, आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता । 2. श्री वी.एस.पाल, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. । 3. आवेदक पुलिस स्टेशन रामनगर जिला नैनीताल में दर्ज धारा 323,332, 353, 395, 397, 412, 427, 504 और 506 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 253/2023 के संबंध में जमानत की मांग कर रहे हैं। 4. आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि आवेदकों को झूठा फंसाया गया है। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि तीन अन्य सह आरोपियों, गुरुमील उर्फ गुरमेल सिंह, रमेश सिंह उर्फ मेशी और राजू उर्फ मोटा को इस अदालत ने पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया था। सह-अभियुक्त गुरुमील उर्फ गुरमेल सिंह को इस अदालत ने 07.11.2023 को बीए 1 नंबर 2181 ऑफ 2023 में जमानत पर रिहा कर दिया था, रमेश सिंह उर्फ मेशी को 13.10.2023 को बीए 1 नंबर 2246 ऑफ 2023 में जमानत दे दी गई थी और राजू उर्फ मोटा को 19.10.2023 को बीए 1 नंबर 2280 ऑफ 2023 मे जमानत दे दी गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि इन आवेदकों को समान भूमिका सौंपी गई है, इस प्रकार, वे समानता का लाभ पाने के हकदार हैं। 5. इसके विपरीत, श्री वी.एस. पाल विद्वान ए.जी.ए . ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि वर्तमान आवेदकों

			को समान भूमिका सौंपी गई है, और इसलिए, वे समानता का लाभ पाने के हकदार हैं। श्री वी एस पाल द्वारा इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं किया गया है कि दोनों आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 6. चूंकि, अन्य तीन सह-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, और इसके अलावा, इन आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया गया है, इस प्रकार, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मानना है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। 7. जमानत अर्जी मंजूर की जाती है। आवेदकों जसवन्त सिंह उर्फ जस्सू और हरबंश सिंह उर्फ हंशु को व्यक्तिगत मुचलका भरने और उनमें से प्रत्येक द्वारा दो विश्वसनीय जमानत, जिनमें से प्रत्येक संबंधित अदालत की संतुष्टि के बराबर राशि का हो, देने पर जमानत पर रिहा करें। **(राकेश थपलियाल, जे.)** 11.12.2023 पारुल